रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2011/ज्येष्ठ 5, 1933
No. 1013] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2011/JYAISTHA 5, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2011

(आय-कर)

का.आ. 1214(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 114ख में, —

(i) स्पष्टीकरण खंड (ट) के स्पष्टीकरण (क) में, "टूर आपरेटर" शब्दों के स्थान पर "टूर आपरेटर या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ठ) में, "कोई क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए" शब्दों के स्थान पर "किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जारी करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) खंड (त) के पश्चात् और पहले परंतुक से पहले निम्नलिखत खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(थ) जीवन बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में यथापरिभाषित किसी बीमांकक को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में एक वर्ष में संकलित पचास हजार रुपए या अधिक की किसी रकम का संदाय;

(द) किसी ब्यौहारी को बुलियन या आभूषण के क्रय के लिए :—

"(i) किसी एक समय में पांच लाख या अधिक की किसी रकम का संदाय या,

(ii) पांच लाख रुपए या अधिक की किसी रकम के लिए किसी बिल के विरुद्ध संदाय :" ।

[अधिसूचना संख्या 27/2011/फा. सं.149/122/2010-एसओ (टीपीएल)]

पवन के. कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 संख्यांक का.आ. 694(अ), तारीख 5-4-2011 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2011

(INCOME-TAX)

S.O. 1214(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax 5th Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2011.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 114B,—

(i) in the Explanation (a), in clause (k) for the words "tour operator" the words "tour operator, or to an authorized person as defined in clasue (c) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)" shall be substituted.

(ii) in clause (1) for the words "for issue of a credit card" the words "for issue of a credit or debit card " shall be substituted.

(iii) after clause (p) and before the first proviso, the following clauses shall be inserted, namely:—

"(q) Payment of an amount aggregating fifty thousand rupees or more in a year as life insurance premium to an insurer as defined in clause (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(r) payment to a dealer, —

(i) of an amount of five lakh rupees or more at any one time or

(ii) against, a bill for an amount of five lakh rupees or more,

for purchase of bullion or Jewellery:".

[Notification No. 27/2011/F. No. 149/122/2010 -SO (TPL)]

PAWAN K. KUMAR, Director

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by income-tax (4th Amendement) Rules, 2011 *vide* number S. O. 694 (E), dated 5-4-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.